वित्तीय स्वीकृति / पूंजीगत

संख्याः– /XVII-5/2018–09(06)/2009

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सैनिक कल्याण अनुभाग देहरादून : दिनांकः 28 सितम्बर, 2018

विषयः–**वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–15 के पूंजीगत पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष सैनिक विश्राम गृह, लैन्सडाउन के मरम्मत कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–4003 / सै.क. / सै.वि.गृ. / लैन्सडाउन, दिनांक 16 जनवरी, 2018 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–519 / 3(150)–2017 / XXVII(1)/2018, दिनांक 02 अप्रैल, 2018 व शासनादेश संख्या–475 / XXVII(1) / 2008, दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सैनिक विश्राम गृह, लैन्सडाउन के मरम्मत कार्यों हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 में निहित प्राविधानान्तर्गत किये जाने वाले व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में सैनिक विश्राम गृहों के निर्माण हेतु अनुदान संख्या–15 के लेखाशीर्षक–4235 (पूंजीगत) में प्राविधानित धनराशि रू0 40.00 लाख (रू0 चालीस लाख मात्र) के सापेक्ष **रू0 7.48 लाख (रू0 सात लाख अड़तालिस हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1– शासनादेश संख्या–519 / 3(150)–2017 / XXVII(1)/2018, दिनांक 02 अप्रैल, 2018 व शासनादेश संख्या–475 / XXVII(1) / 2008, दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित मानकों / विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए उक्त मरम्मत कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

3– स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

4– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047 / XIV-219(2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5– आगणन गठित करते समय मरम्मत कार्य प्रारंम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

7– व्यय की भौतिक/वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट नियमानुसार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–15 (पूंजीगत पक्ष) के लेखाशीर्षक–4235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम–200–अन्य कार्यक्रम–03–सैनिक कल्याण–01–सैनिक विश्राम गृहों का निर्माण–24–वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

9– उक्त स्वीकृत **रू0 7.48 लाख (रू0 सात लाख अड़तालिस हजार मात्र)** की धनराशि का आवंटन इन्टरनेट के माध्यम संलग्न विवरणानुसार एलोटमेन्ट आई0डी0सं0–S1809150130, दिनांक 20 सितम्बर, 2018 द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या–4732 में कर दिया गया है।

10– यह आदेश वित्त अनुभाग–1 के अशा0 संख्या–29(म0)/XXVII(1)/2018, दिनांक 17 अगस्त, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः– /637(1) /XVII-5/2018-09(06)/2009 : तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग), उत्तराखण्ड शासन।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
6. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)।
7. जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, लैन्सडाउन।
8. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव।